



Neutral Citation No.2026:AHC:3267

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-45999 वर्ष 2025

छत्रपाल आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: पंकज शर्मा, सतीश कुमार

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री पंकज शर्मा, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री प्रभात कुमार सिंह, राज्य के राज्य विधि अधिकारी श्री योगेश मिश्रा को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. आवेदक केस अपराध संख्या-79 वर्ष 2025, धारा 103(1), 191(1), 191(2), 190, 109(1), 115(2), 304(2) बी.एन.एस., 2023, थाना-कैला देवी, जिला: संभल के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत मांगता है।
4. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, आवेदक ने सात अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों और 10-12 अज्ञात व्यक्तियों के साथ मारपीट की और कुल चार व्यक्तियों को घायल किया, जिनमें से एक गिरधारी ने 15.05.2025 को शाम लगभग 4:00 बजे दम तोड़ दिया।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। प्राथमिकी में लगभग 18 घंटे की देरी हुई है और उक्त देरी के कारण कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्राथमिकी में सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सामान्य और सर्वव्यापी आरोप हैं, लेकिन बाद में घटना के 4 दिन बाद सूचनाकर्ता का बयान दर्ज किया गया था, जिसके तहत उसने भूमिका को अलग किया है और रूप किशोर को मारपीट करने और चोट पहुंचाने वाले आवेदक की भूमिका सौंपी है।
6. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि रूप किशोर का बयान भी दर्ज किया गया था और उसने यह भी कहा है कि आवेदक द्वारा उस पर हमला किया गया था और इसलिए अन्य घायल व्यक्तियों के रूप में। उक्त बयान अभियोजन पक्ष की कहानी को गलत साबित करता है, जैसा कि प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है, जिसे बहुत विचार-विमर्श के बाद स्थापित किया गया था। यह झूठे निहितार्थ का एक स्पष्ट मामला है क्योंकि देर से कहानी तैयार की गई है और अभियोजन पक्ष द्वारा भूमिकाओं में विविधता लाई गई है। आवेदक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को सौंपे गए एक मामले का आपराधिक इतिहास समझाया गया है। आवेदक 20.05.2025 से जेल में बंद है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

7. सूचनाकर्ता के अधिवक्ता और राज्य विधि अधिकारी ने इस आधार पर जमानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है कि तीन घायल व्यक्तियों की जांच की गई है और उन सभी ने रूप किशोर को चोट पहुंचाने वाले आवेदक की भूमिका सौंपी है, जिसके कपाल पर एक घाव हुआ था जो शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इस प्रकार, आवेदक जमानत का हकदार नहीं है।

8. प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य, (2020) 11 एस.सी.सी. 648 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने देखा है कि एक आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामलों का लंबित होना जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है, यदि अन्यथा जमानत के लिए उसका मामला बन जाता है।

9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अभिलेखों पर साक्ष्य, प्राथमिकी के गठन में देरी को ध्यान में रखते हुए और तीन घायल व्यक्तियों के बयानों के लिए प्राथमिकी में उक्त असंगति को ध्यान में रखते हुए, जो देर से दर्ज किया गया था, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत आवेदन की अनुमति है।

10. आवेदक- छत्रपाल, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज़ आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

11. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी।

जनवरी 7, 2026

(रवि कांत)

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)